राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3131/2025

डॉ. बाबूलाल साहू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. पीएमओ जिला अस्पताल, सवाईमाधोपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक, जिला चिकित्सालय, जिला सवाईमाधोपुर से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 1987 में हुई। तत्पश्चात अपीलार्थी को एसएमओ, उप निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक के पद पर वेतन 8700/– रुपये पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.10.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी के विरुद्ध वर्ष 2001 में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। जिसके कारण अपीलार्थी को दिनांक 24.02.2001 के द्वारा निलंबित कर दिया गया था तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जांच शुरू की गई। अपीलार्थी को वर्ष 2010 में आपराधिक प्रकरण में रिहा कर दिया गया तथा अपीलार्थी का निलंबन आदेश दिनांक 08.06.2010 को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी लगभग 09 वर्ष तथा कुछ महीने तक निलंबित रहा लेकिन निलंबन अवधि

के दौरान अपीलार्थी को वेतन का 50 प्रतिशत और बाद में 75 प्रतिशत के रूप में केवल निर्वाह भत्ता दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.01.2023 (अनुलग्नक–2) के आदेश द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई जांच को समाप्त कर एक वर्ष की अवधि के लिए पेंशन का 20 प्रतिशत रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.01.2023 के पारित होने के पश्चात् अपीलार्थी निलम्बन अवधि का नियमित वेतन पाने का हकदार था तथा इस सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2024 (अनुलग्नक–3) जारी किया गया। जिसके द्वारा दिनांक 24.02.2001 से 09.07.2010 तक की अवधि को नियमित किया गया था तथा यह माना गया कि अपीलार्थी नियमित वेतन पाने का हकदार है तथा निलम्बन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते का भुगतान कुल वेतन में समायोजित किया जाए। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.11.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को तृतीय एसीपी वेतन 8700/–रूपये का लाभ दिया गया। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वास्तविक लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को सेवानिवृत हुए 05 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन वास्तविक लाभ तथा देय वेतन एवं सुविधाओं का बकाया अधिकारियों द्वारा तैयार करके जारी नहीं किया गया है, यहां तक कि औपचारिक आदेश भी पारित हो चुके हैं। इस संबंध में अपीलार्थी ने कई बार अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया तथा उसके बाद अपीलार्थी ने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया गया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के लगभग 09 वर्षों की निलंबन अवधि के लिए बकाया राशि पर वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी के बकाया वेतन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि ओर एसीपी पदोन्नति का वास्तविक लाभ ब्याज सहित दिया जावे एवं अपीलार्थी के पेंशन और पेंशनभोगियों के लाभों को ब्याज सहित संशोधित करके जारी किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष